

**न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-32 ए/2013

संस्थापन दिनांक-16.05.2013

फाईलिंग क्र. 234503004362013

रजिया बी पिता सरकत खान, उम्र-45 वर्ष, जाति मुसलमान
निवासी-बस स्टेण्ड बैहर, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- वादी

विरुद्ध

1-लक्ष्मीप्रसाद पिता हिरदे, उम्र-70 वर्ष, जाति मरार
निवासी-ग्राम खुरमुण्डी, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

-: // निर्णय // :-

(आज दिनांक-30/09/2015 को घोषित)

1- वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा खुरमुण्डी प.ह.नं. 11, रा.नि.मं. एवं तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 11/10, रकबा 0.50 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर स्वत्व की घोषणा एवं उस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा बनाए गए अवैध मकान को तुड़वाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा चाही है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत कुछ नहीं है।

3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादी की पैतृक भूमि है, जिसके रकबा 0.16 एकड़ भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मकान एवं हाताबाड़ी बनाकर अवैध कब्जा किया है। वादी को विवादित भूमि के बारे में तब जानकारी प्राप्त हुई, जब वर्ष 2004 में वह उसके पिता सरकत खान की मृत्यु होने पर अपनी माँ जीनत बी के सेवा जाफ़ता के लिए मायके ग्राम बैहर आई। वादी ने विवादित भूमि पर फौती दाखिला के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने के दौरान प्रथम बार दिनांक-30.10.2006 को उसे यह जानकारी हुई कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मकान निर्माण कर कब्जा कर लिया है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 से विवादित भूमि पर मकान व हाताबाड़ी का कब्जा छोड़ने को कहा तो प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मना कर दिया और प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 में वाद प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक-27.01.2009 को निरस्त हो गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध की गई व्यवहार अपील भी दिनांक-17.09.2010 को निरस्त हो गई। वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष धारा-250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की, किन्तु क्षेत्राधिकार न होने के कारण राजस्व प्रकरण व अपील निरस्त हो गई, जिस पर वादी ने यह वाद पेश किया है। वादी ने विवादित भूमि पर स्वत्व की घोषणा, विवादित भूमि के रकबा 0.16 एकड़ भू-भाग पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा बनाए गए मकान व बाड़ी को तुड़वाकर रिक्त आधिपत्य एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से नुकसानी राशि भी दिलाए जाने का अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि वादी के पिता सरकत खान के नाम पर विवादित भूमि दर्ज होने के पूर्व से ही विवादित भूमि पर विगत 40-50 वर्ष से प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मकान निर्माण कर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वादी के पिता सरकत खान को जानकारी रही है। प्रतिवादी क्रमांक-1 का विवादित भूमि पर लगातार वादी के पिता की जानकारी में होते हुए खुले रूप से बे-रोकटोक कब्जा चला आ रहा है, जिसे खाली कराने की कार्यवाही नहीं की

गई है। वादी को भी वयस्क हुए 26 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किन्तु वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 को विवादित भूमि पर काबिज होने की जानकारी होते हुए भी उसे बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार वादी को विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी का वाद निरस्त कर उसके पक्ष में विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का अनुतोष चाहा है।

5— वादी ने प्रतिदावा के जवाब में प्रतिदावा के संपूर्ण अभिवचन से इंकार कर यह अभिवचन किया कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा पूर्व में व्यवहार वाद न्यायालय के समक्ष पेश कर विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की मांग की गई थी। उक्त पूर्व व्यवहार वाद निरस्त होकर अंतिम रूप से निराकृत हो चुका है। जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा प्रांगन्याय से बाधित है। अतएव प्रतिदावा सब्यय निरस्त किया जावे।

6— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी के आधिपत्य वाली मौजा खुरमुण्डी प.ह.नं 11, रा.नि.मं. एवं तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 11/10, रकबा 0.50 एकड़ भूमि के 7 डिसमिल भू-भाग पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अवैध रूप से मकान बनाकर निर्माण किया गया है ?	प्रमाणित
2	क्या वादी उक्त निर्माण कार्य को तुड़वाकर भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का हकदार है ?	प्रमाणित
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 को उक्त विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादी राशि 2500/-रुपये बतौर नुकसानी के प्रतिवादी क्रमांक-1 से प्राप्त करने का हकदार है ?	प्रमाणित

5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार
6	क्या उक्त विवादित भूमि पर वादी को स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित
7	क्या प्रतिवादी का प्रतिदावा प्रांगन्याय से बाधित है ?	प्रमाणित

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-3 एवं 7 का निराकरण

8— उक्त वादप्रश्नों का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख संशोधन पंजी दिनांक-03.04.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 किशतबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4, पांचसाला खसरा वर्ष 2006-07 से 2008-09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 पेश की है। उक्त राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पर वादी के पिता सरकत खान के फौत होने के कारण एकमात्र वारिस पुत्री रजिया का नाम भूमि-स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से प्रस्तुत विवादित भूमि के वर्तमान खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 में भी विवादित भूमि के भूमि स्वामी का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा-117 के अंतर्गत उक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि को सही होने की उपधारणा की जा सकती है, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इस प्रकार वादी विवादित भूमि की दस्तावेजी स्वामी होना प्रकट होती है।

9— वादी ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं रजिया बी (वा.सा.1), साक्षी हन्नू उर्फ हनीफ खान (वा.सा.2), रहमान खान (वा.सा.3) एवं चैतराम (वा.सा.4) की साक्ष्य कराई है। उक्त वादी साक्षीगण ने वादी के अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण के कथन का उनके प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में स्वयं लक्ष्मीप्रसाद (प्र.सा.1) ने अपनी साक्ष्य पेश की है, जिसमें प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पूर्व में वादी के विरुद्ध विवादित भूमि पर प्रतिकूल

आधिपत्य का वाद पेश किया था, जो निरस्त हो चुका है। इसके अलावा प्रतिवादी ने जिन साक्षी महलूसिंह (प्र.सा.2) एवं पंचमसिंह (प्र.सा.3) की साक्ष्य कराई है, उन्होंने प्रतिपरीक्षण में विवादित भूमि एवं विवादक के संबंध में जानकारी न होना स्वीकार किया है। इस कारण प्रतिवादी के उक्त साक्षीगण के कथन का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

10— प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्ति का है। इस संबंध में पर्याप्त अभिवचन और प्रमाण होना चाहिए कि किस अवधि से किस तारीख से वह आधिपत्य में है और ऐसा आधिपत्य निरन्तर है ऐसा आधिपत्य का खुले रूप से और दर्शनीय, एकमेव विरोधी और परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 में दर्शायी अवधि का तथा वास्तविक स्वामी के ज्ञान में है। एकमेव आधिपत्य का भौतिक कृत्य विरोधी आधिपत्य के दावे के लिए न्यायसंगत नहीं होगा। वह व्यक्ति जो विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व परिपक्व करने का दावा करता है उसके पक्ष में साम्या नहीं होता है, यह वास्तविक स्वामी के अधिकारों को पराजित करने के समान होता है, इस कारण ऐसे व्यक्ति पर भारी प्रमाण भार होता है कि वह विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्रमाणित करे।

11— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने अभिवचन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित भूमि पर कथित विरोधी आधिपत्य किस दिनांक से और किस प्रकार प्रारंभ हुआ। प्रतिवादी क्रमांक-1 को विवादित भूमि पर लगभग 40-50 वर्षों से लगातार आधिपत्य होना प्रकट किया है, किन्तु विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य होने के संबंध में कब और कैसे वाद कारण उत्पन्न हुआ, इसका प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्पष्ट अभिवचन कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायदृष्टान्त कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ विरुद्ध गव्हरमेंट ऑफ इंडिया एवं अन्य (2004) 10 एस.सी.सी.779 में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत है कि विरोधी आधिपत्य में न केवल विधि का अंतर्निहित प्रश्न है, बल्कि यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। जो व्यक्ति विरोधी आधिपत्य का दावा करता है, उसे दिखाना होगा कि (अ) वह किस दिनांक को कब्जे में आया था, (ब) वह

किस प्रकार काबिज है, (स) कब्जे के बाद उसकी जानकारी दूसरे पक्ष को कब हुई, (द) उसका कब्जा कितने समय से लगातार है, और (इ) उसका कब्जा खुले रूप से निर्बाध रहा है। विरोधी आधिपत्य का अभिवचन करने वाला व्यक्ति विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की मांग साम्या के रूप में नहीं कर सकता। वह सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के अधिकार का हनन करने का प्रयत्न करता है।

12— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने इस वाद के पूर्व भी वादी एवं उसकी माता जीनत बी के विरुद्ध विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व का दावा करते हुए व्यवहार वाद क्रमांक-8 ए/08 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर के समक्ष पेश किया था। उक्त वाद में पारित निर्णय दिनांक-27.01.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-13 एवं डिक्री प्रदर्श पी-14 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 का विरोधी आधिपत्य का दावा निरस्त किया गया है। उक्त वाद में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत व्यवहार अपील भी माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। उक्त व्यवहार अपील में पारित निर्णय दिनांक-17.09.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-15 के अनुसार अपील निरस्त होने से पूर्व व्यवहार वाद अंतिम रूप से विनिश्चित होना प्रकट होता है।

13— वादी रजिया बी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रतिवादी क्रमांक-1 ने पूर्व व्यवहार वाद में भी वादपत्र में यह अभिवचन किया था कि विवादित भूमि पर वह विगत 50 वर्ष से काबिज कास्त चले आ रहा है। उक्त पूर्व व्यवहार वाद में वाद कारण दिनांक-13.11.2006 को तब उत्पन्न होना प्रकट किया गया है, जब वादी रजिया बी व उसकी माँ ने अपने सहयोगी को लेकर विवादित भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। इस वाद में प्रतिवादी क्रमांक-1 ने समान पक्षकार के विरुद्ध उसी विवादित भूमि के संबंध में विरोधी आधिपत्य का प्रतिदावा पेश किया है, किन्तु प्रतिदावा हेतु वाद कारण प्रकट नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा प्रतिदावा का वाद कारण मात्र यह बताया गया है कि वादी के द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद प्रतिदावा कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने

अभिवचन में कथित विरोधी आधिपत्य के संबंध में वाद कारण स्पष्ट नहीं किया है।

14— प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा यह अभिवचन नहीं किया गया है कि 12 वर्ष से अधिक समय तक विवादित भूमि पर किस प्रकार उसका विपरीत कब्जा होने के कारण उसे वाद हेतुक प्राप्त हो गया है तथा कथित वाद हेतुक प्राप्त होने की दिनांक का भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 ने प्रतिदावा में वाद हेतुक प्रकट नहीं किया होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा प्रचलन योग्य नहीं है।

15— यदि तर्क के लिए पूर्व व्यवहार वाद में प्रस्तुत वाद कारण दिनांक-13.11.2006 से भी विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 को कथित विरोधी आधिपत्य की गणना की जावे, तो पूर्व निर्णित वाद में इस विवादक का अंतिम रूप से निराकरण होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा प्रांगन्याय के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है।

16— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख खसरा फार्म वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 पेश किया है, जिसमें विवादित भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में वादी रजिया बी का नाम लेख है तथा खसरा के कॉलम नंबर 12 में प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद का कब्जा होने का लेख है। उक्त दस्तावेज में कॉलम नंबर 12 की प्रविष्टि बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज होना प्रकट होती है। इस संबंध में न्यायदृष्टान्त **चन्द्रिका प्रसाद तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2011 (3) एम.पी.एच.टी. 471** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी प्रविष्टियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर की जाती हैं, के आधार पर यह निष्कर्ष कि वह भूमि के आधिपत्य में है और उसने अपना स्वत्व प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर अर्जित कर लिया है, नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार विवादित भूमि का लगान या मकान का कर अदा करने मात्र से प्रतिवादी को विवादित भूमि पर हक प्राप्त होना नहीं माना जा सकता।

उक्त विधिक स्थिति एवं प्रस्तुत तथ्य के आलोक में प्रतिवादी क्रमांक-1 का विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

17— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने अभिवचन एवं साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसका विवादित भूमि पर किस प्रकार आधिपत्य हुआ और न ही यह प्रकट होता है कि वह विवादित भूमि पर खुले रूप से लगातार 12 वर्ष से अधिक समय से, अबाध, शांतिपूर्ण वादी के पिता के जानकारी में तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् वादी की जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए आधिपत्य चला आ रहा है।

18— परिसीमा अधिनियम 1963 के सुसंगत प्रावधान अनुच्छेद 64 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के लिए जो पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर हो और हक के आधार पर न हो, जबकि वादी सम्पत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हक के आधार पर स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए विहित परिसीमा काल 12 वर्ष दी गई है। विधायिका की मंशा यह प्रतीत होती है कि उक्त विधिक उपबन्ध व कालावधि केवल प्रतिवादी के लिए अपने कब्जे व हित को संरक्षित रखने व बचाव पेश करने के लिए प्रदत्त की गई है, न कि उक्त विहित कालावधि से वाद प्रस्तुति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त करने की। न्यायदृष्टांत—**Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala, (2014) 1 SCC 669** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का दावा अनुमत योग्य नहीं है, बल्कि विरोधी आधिपत्य को ढाल या बचाव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दावाकर्ता को उसका विरोधी आधिपत्य पाये जाने पर भी स्वत्व की घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रतिदावा में वाद कारण प्रकट न होने से, प्रतिदावा प्रांगन्याय से बाधित होने तथा विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का दावा प्रचलनीय नहीं होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव

वादप्रश्न क्रमांक-3 “प्रमाणित नहीं” एवं वादप्रश्न क्रमांक-7 “प्रमाणित” के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

वादप्रश्न क्रमांक-1, 2 एवं 6 का निराकरण

19— उक्त वादप्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। वादी ने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख पेश किये हैं, जिसमें वादी का नाम विवादित भूमि के भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन प्रतिवादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी को विवादित भूमि के दस्तावेजी स्वामी के रूप में मान्य करते हुए उसके विरुद्ध विरोधी आधिपत्य का दावा पेश किया है। इस प्रकार वादी को अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

20— रजिया बी (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए विवादित भूमि उसकी पैतृक भूमि होना बताया है, जिसका खण्डन प्रतिवादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वयं यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि को वादी के पिता सरकत खान ने क्रय किया था, जिसके पूर्व से वह विवादित भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वयं वादी का विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेख में भूमि-स्वामी के रूप में नाम दर्ज होने का दस्तावेज पेश किया है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि वादी के स्वत्व की भूमि है।

21— विवादित भूमि पर तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश पर राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा का प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-6, पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 में यह उल्लेख है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद लगभग 60 वर्ष से मकान व बाड़ी बनाकर काबिज है। प्रतिवादी क्रमांक-1 का विरोधी आधिपत्य का दावा प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य विधि सम्मत होना नहीं माना जा सकता है।

22— प्रकरण में यदि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का आधिपत्य लंबे समय से होना मान भी लिया जाए तब भी विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व

प्रमाणित होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 का ऐसा आधिपत्य विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसे आधिपत्य को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। वादी का विवादित भूमि पर पैतृक भूमि होने के कारण हक प्राप्त होना प्रकट होता है तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से उसके हक को चुनौती दिए जाने के संबंध में पूर्व व्यवहार वाद में दावा पेश किये जाने से वादी ने यह वाद 12 वर्ष के भीतर विहित समय अवधि में पेश किया है। वादी ने विवादित भूमि पर अपना स्वत्व प्राप्त होना तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 का विवादित भूमि पर बने मकान व हाताबाड़ी सहित अवैध आधिपत्य होना प्रमाणित किया है। ऐसी दशा में वादी विवादित भूमि पर बने मकान व हाताबाड़ी को तुड़वाकर उसका प्रतिवादी क्रमांक-1 से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने की हकदार हैं। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1, 2 व 6 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

वादप्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

23— विवादित भूमि वादी के स्वत्व की होने तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 का उस पर अवैध आधिपत्य होना प्रमाणित है। प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद ने विवादित मकान व हाताबाड़ी बनाकर उपयोग व उपभोग करते चले आना अभिवचन किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के उक्त कृत्य से वादी को विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ा है। इस कारण वादी को प्रतिवादी क्रमांक-1 से विवादित भूमि के मकान व हाताबाड़ी को तुड़वाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के साथ राशि 2500/-रुपये बतौर नुकसानी के अनुतोष में प्रदान किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-4 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

24— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने विवादित भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त होना प्रमाणित नहीं किया है। वादी को विवादित भूमि पर बने मकान व

हाताबाड़ी को तुड़वाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अतएव वादी का वाद स्वीकार कर तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

(1) वादी को मौजा खुरमुण्डी प.ह.नं 11, रा.नि.मं. एवं तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 11/10, रकबा 0.50 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है।

(2) प्रतिवादी क्रमांक-1 उक्त विवादित भूमि पर वादपत्र के नजरी नक्शा में दर्शित क, ख, ग, ब वाले भू-भाग पर बने मकान एवं ख, च, छ, ग वाले भू-भाग पर बने हाथाबाड़ी को तुड़वाकर भूमि का वादी को रिक्त आधिपत्य प्रदान करें।

(3) प्रतिवादी क्रमांक-1 राशि 2500/-रूपये बतौर नुकसानी वादी को अदा करें।

(4) प्रतिवादी क्रमांक-1 अपने साथ वादी का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर